



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

गेट न०-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़,
बाँदा, पिनकोड-210001



दूरभाष :- +91 9473941981, ई०मेल :- eejalgraminbanda@gmail.com

पत्रांक :- / /

दिनांक :- / /

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :- इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट मीडिया 'हिन्दुस्तान' बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 19.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "शहर में बिना अनुमति खोदकर छोड़े गए गड्ढे बन सकते हैं जानलेवा" आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शिकायतकर्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट मीडिया 'हिन्दुस्तान' बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 19.09.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "शहर में बिना अनुमति खोदकर छोड़े गए गड्ढे बन सकते हैं जानलेवा" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त शिकायत प्रकरण जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित न होकर नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित है जिसमें पाइपलाइन बिछाने का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), अमृत योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

Digitally signed by
VIMAL KUMAR VERMA
Date: 23-09-2026
13:07:43

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा।
- 3- जिलाधिकारी, बाँदा।
- 4- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।

अधिशासी अभियन्ता